

भा.कृ.अनु.प.-भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, खंडवा रोड, इन्दौर-452001

फ़ाइल क्रमांक. प्रेस नोट/प्रेस व पब्लिसिटी/2022/45

भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर की प्रोद्योगिकी प्रबंधन इकाई (आई.टी.एम.यू) द्वारा किया गया कृषि समुदाय के बीच पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों तथा संरक्षण जागरूकता के लिए राष्ट्रीय वेबिनार

भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की आईटीएम इकाई ने कृषि विज्ञान केंद्र, कस्तूरबाग्राम, इंदौर के सहयोग से कृषक समुदाय के बीच "पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार और संरक्षण अधिनियम 2001" पर जागरूकता फैलाने के लिए ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया। जिसके अंतर्गत सम्पूर्ण देश के किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसका लाभ उठाया। इस कार्यक्रम में डॉ दिनेश कुमार अग्रवाल, रजिस्ट्रार जनरल, पीपीवी और एफआर, अतिथि वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि किसान पारंपरिक किस्मों के साथ-साथ उनके द्वारा विकसित की गई किस्मों को भी पंजीकृत कर सकते हैं जिससे उनके अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। इस सुविधा का लाभ पूरे देश के किसानों उपलब्ध कराने के लिए पीपीवी और एफआरए किसानों को अपनी किस्मों को शून्य लागत पर पंजीकृत करने का अधिकार प्रदान करता है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्राप्त 17000 से अधिक आवेदनों में से, 11000 विकसित किस्में किसानों द्वारा प्रस्तावित की गयी है, जो की हमारे देश के लिए स्वर्ण कुंजी के सामान है। जिसमें से 200 किसानों की किस्मों को पीपीवी और एफआरए द्वारा संरक्षित किया गया। डॉ अग्रवाल ने किसानों की सभी शंकाओं एवं सवालों का जवाब भी दिया। इस कार्यक्रम में डॉ नीता खांडेकर, निदेशक, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा सत्र की अध्यक्षता की गयी तथा डॉ एम.पी. शर्मा संयोजक, डॉ मृणाल कुचलन, वैज्ञानिक, आईसीएआर-आईआईएसआर और डॉ आलोक देशवाल, केवीके, कस्तूरबाग्राम सह-संयोजक की भूमिका में उपस्थित रहे।

.....



